न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्याः 505/016
रज्जु दिनांकः 22/06/2016
निर्णय दिनांक 29/05/2017

1. छीतर पुत्र माधो
2. कैलाश पुत्र माधो
3. श्योजी पुत्र माधो
4. सीताराम पुत्र माधो

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

.....वादीगण

बनाम

तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर।

——प्रतिवादी

वाद पत्र–घोषणा व दुरूस्ती इन्द्रांज दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री प्रेमचन्द शर्मा एडवोकेट
श्री बुद्धीप्रकाश शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

उपखण्ड अधिकारी फागी

निर्णय दिनांकः 29.05.2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादीगण के दादा हरदेव वल्द परताब की पर्चाशुदा आराजी खसरा नम्बर 7972, 7981, 7982, 7983, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 8000, 8002, 8010, 8022, 8440, 8441 कुल किता 17 कुल रकबा 43 बीघा 05 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसका पर्चा वादीगण के दादा हरदेव वल्द प्रताप के नाम आया था। वादीगण के दादा हरदेव वल्द परताब मीना की मृत्यु होने

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

पर उनकी विरासत का नामान्तकरण माधो पुत्र हरदेव के नाम खुला तथा माधो पुत्र हरदेव की मृत्यु के पश्चात वादीगण के नाम विरासत का नामान्तकरण खोला गया। आराजी का वादीगण के नाम विरासत का नामान्तकरण खुलने के पश्चात आपसी सहमति से वादीगण ने राजस्व रिकार्ड में विधिवत तकासमा करवा लिया तकासमा के पश्चात वादी सं0 1 के ख0नं0 7972/1, 7983/1, 7986/2, 7988/1, 7989, 7990, 8440, 8441, कुल किता 8 कुल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा में वादी सं0 1 के हिस्से में आयी, वादी सं0 2 के हिस्से में ख0नं0 7972/2, 7983/2, 7985/3, 7986/1, 7987/2, 7988/2, 8000 कुल किता 7 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा नाम आयी, वादी सं0 3 के हिस्से में ख0नं0 7982, 7985/2, 7991, 8010/2 कुल किता 4 कुल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा में आयी, वादी सं0 4 के हिस्से में ख0नं0 7981, 7983/3, 7985/1, 7987/1, 8010/1, 8022 कुल किता 6 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा नाम आयी। वादीगण के दादा हरदेव वल्द परताब के नाम पर्चा आयी तब जाति मीना थी। लेकिन वादीगण के दादा हरदेव वल्द परताब मीना की मृत्यु पर माधो पुत्र हरदेव के नाम नामान्तकरण खोले जाने पर जाति मीना के स्थान पर जाति मीणा राजस्व कर्मचारियों की गलती से गलत दर्ज हो गयी तथा जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2044 से 2049 में वादीगण की जाति मीना सही दर्ज हो गयी थी। लेकिन इसके पश्चात पुनः राजस्व कर्मचारियों की गलती से जामि मीना की जामि मीणा गलत दर्ज हो गयी जिसकों दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। राजस्व कर्मचारियो की गलती से वादीगण की जाति मीना की जगह मीणा गलत दर्ज हो जाने से राजकी सहायता एवं जाति सम्बन्धी कार्य में काफी असुविधा का सामना करना पडता है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अभी हाल ही में दिनांक 08.06.2016 को वादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर जाति मीणा की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपकी जामि रिकार्ड में मीणा है जबकि सही जाती मीना है जिसको दुरूस्त करवाने के लिये, मान्य सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादीगण द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी का वाद कारण दिनांक 08.06.

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

2016 को पटवारी हल्का द्वारा जाति मीणा के स्थान पर जाति मीना को दुरूस्त करने से इंकार करने के कारण वादीगण को उक्त वाद इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावें कि वाद पत्र में मद नं0 1 में वर्णित अनुसार आराजी के वादीगण दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकार्ड में वादीगण की जाति मीणा के स्थान पर मीना किया जाकर पालना बाबत तहसीलदार फागी को आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गयी। पेरोकार सरकार ने अपना जवाब पेश किया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी का अवलोकन करने पर पाया कि पर्चा सेटलमेन्ट में वादीगण के पूर्वज हरदेवा वल्द परताब कौम मीना अंकित है। लेकिन वर्तमान जमाबन्दी में मीणा अंकित है। इसलिये वादीगण की जाति मीणा के स्थान पर मीना दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 7972, 7981, 7982, 7983, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 8000, 8002, 8010, 8022, 8440, 8441 कुल किता 17 कुल रकबा 43 बीघा 05 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में वादीगण की जाति मीणा के स्थान पर मीना दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/05/2017 को न्याय आपके द्वारा कोर्ट केम्प फागी में मेजमेआम सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास– **सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)**

उनवान

छीतर पुत्र माधो जाति मीना निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर वगै0।

बनाम

तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

::– वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 505/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी गिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आराजी ख0न0 7972, 7981, 7982, 7983, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 8000, 8002, 8010, 8022, 8440, 8441 कुल किता 17 कुल रकबा 43 बीघा 05 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में वादीगण की जाति मीणा के स्थान पर मीना दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है।

निज..........मुबलिग..........बाबत..........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..........फीसदी..........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.......... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/05/2017 को जारी की गई।

दस्तखत..........

ओहदा..........

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	— nil —		फीस कमीश्नर	— nil —	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)